कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

चतुर्थ तल, कम्पोजिट राजस्व भवन, नीडम रोड़, चन्द्रवदनी नाका, लश्कर, ग्वालियर
E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in, Phone No: 0751-2452810

SPECIAL DRIVE

क्रमांक/6-ब/अप./विशेष अभियान/E-325362 ग्वालियर, दिनांक 07.09.2026

प्रति,

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः- अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान (Special Drive) संचालित किए जाने के संबंध में।

मध्यप्रदेश में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शासन के राजस्व हित, जनस्वास्थ्य एवं लोकहित की दृष्टि से **विशेष प्रवर्तन अभियान (Special Drive)** संचालित किया जाना है। अभियान के दौरान निम्नानुसार प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं सतत निगरानी - प्रत्येक जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय एवं परिवहन की दृष्टि से संभावित स्थलों, पूर्व में चिन्हित स्थानों, संवेदनशील मार्गों तथा आबकारी अपराधों में संलिप्त रहे व्यक्तियों की सूची अद्यतन की जाए। चिन्हित स्थानों एवं व्यक्तियों पर **नियमित तथा आकस्मिक दोनों प्रकार की निगरानी** रखी जाए।

2. सूचना तंत्र को सक्रिय एवं प्रभावी बनाना - प्राप्त गुप्त अथवा अन्य सूचनाओं का तत्काल परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए। सूचना विश्वसनीय पाए जाने पर बिना अनावश्यक विलंब के मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा लागू नियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सूचना के स्रोत/मुखबिर की पहचान **पूर्णतः गोपनीय** रखी जाए।

3. दबिश, तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही - अवैध मदिरा के निर्माण स्थलों, भट्टियों, भंडारण एवं विक्रय स्थलों तथा लाहन, स्प्रिट एवं अन्य कच्चे माल के संग्रहण वाले परिसरों पर विधि में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रभावी दबिश एवं तलाशी की कार्यवाही की जाए। तलाशी एवं जब्ती के दौरान निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए तथा पंचनामा, जब्ती अभिलेख, नमूना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार तैयार किए जाएं।

4. अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण - संवेदनशील मार्गों, जिला सीमाओं एवं अन्य चिन्हित स्थानों पर आकस्मिक वाहन जांच की जाए। संदिग्ध वाहनों में अवैध मदिरा अथवा अन्य

प्रतिबंधित/जब्ती योग्य सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाए। वाहन की जब्ती की स्थिति में वाहन का पंजीयन क्रमांक, चालक/स्वामी का विवरण तथा अन्य आवश्यक तथ्य अभिलेख में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं।

5. प्रकरण पंजीयन एवं साक्ष्य की गुणवत्ता - अपराध पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा लागू नियमों के अनुसार तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए तथा अपराध की प्रकृति के अनुरूप संबंधित धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। **केवल प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से औपचारिक कार्यवाही न की जाए।** प्रत्येक प्रकरण में साक्ष्य की गुणवत्ता तथा वैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. गिरफ्तारी एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा - जहां विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति उपलब्ध हो तथा परिस्थितियों में गिरफ्तारी आवश्यक हो, वहां सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाए। फरार एवं वांछित आरोपियों की पृथक सूची तैयार कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। पूर्व से लंबित आबकारी प्रकरणों, जब्ती/राजसात/अधिहरण कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

7. लाइसेंसी परिसरों का निरीक्षण - लाइसेंसी परिसरों में अवैध मदिरा के विक्रय/भंडारण, अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य गंभीर अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार निरीक्षण एवं वैधानिक कार्यवाही की जाए। **गंभीर अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न किया जाए।**

8. विशेष गश्त एवं समन्वित कार्यवाही - संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रात्रिकालीन गश्त, आकस्मिक निरीक्षण एवं विशेष वाहन जांच बढ़ाई जाए। अंतर-जिला एवं अंतर-राज्यीय अवैध मदिरा परिवहन की संभावना वाले मार्गों पर संबंधित जिलों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए। आवश्यकता होने पर पुलिस विभाग के साथ **संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही** भी की जाए।

9. गंभीर प्रकरणों की विशेष रिपोर्ट - बड़े पैमाने पर अवैध मदिरा की बरामदगी, संगठित अवैध निर्माण/व्यवसाय, अंतर-जिला/अंतर-राज्यीय परिवहन, बड़ी मात्रा में लाहन/स्प्रिट की बरामदगी, संगठित अपराधियों की संलिप्तता अथवा जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम वाले प्रकरणों में **पृथक एवं विस्तृत रिपोर्ट तत्काल वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।**

10. दैनिक प्रगति प्रतिवेदन - विशेष अभियान के दौरान प्राप्त सूचनाओं, सत्यापित सूचनाओं, दबिश, तलाशी, वाहन जांच, जब्ती, पंजीबद्ध प्रकरणों, गिरफ्तार/फरार/वांछित आरोपियों, न्यायालयीन कार्यवाही तथा जब्त मदिरा, लाहन एवं अन्य सामग्री का विवरण निर्धारित परिशिष्ट में **प्रतिदिन अनिवार्य रूप से दर्ज** किया जाए। यदि किसी मद में कार्यवाही/जानकारी उपलब्ध न हो तो संबंधित कॉलम में **'शून्य'** अंकित किया जाए। कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ा जाए। जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा दैनिक समीक्षा के उपरांत प्रगति प्रतिवेदन अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल को प्रेषित किया जाए।

11. जवाबदेही का निर्धारण - विश्वसनीय सूचना पर समयबद्ध कार्यवाही न करने, गंभीर अनियमितता की उपेक्षा करने अथवा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर

संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की **जवाबदेही निर्धारित** की जाए तथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

12. व्यक्तिगत पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व - सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अपने जिले में विशेष अभियान की **व्यक्तिगत रूप से निगरानी एवं समीक्षा** करेंगे। वे अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को क्षेत्रवार दायित्व निर्धारित करते हुए प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने अथवा बड़े पैमाने पर अवैध मदिरा की बरामदगी होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को **तत्काल अवगत कराया जाए।**

13. उक्त विशेष प्रवर्तन अभियान को **गंभीरता, सतर्कता एवं परिणाममूलक दृष्टिकोण** के साथ संचालित किया जाए। अभियान के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन लागू नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। अभियान का उद्देश्य केवल प्रकरणों की संख्या में वृद्धि करना न होकर **अवैध मदिरा के स्रोत, निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं परिवहन की श्रृंखला पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना** तथा वास्तविक एवं प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by Deepak Kumar Saxena
Date: 07-09-2026 20:02:46

(दीपक सक्सेना)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/6-ब/अप./विशेषअभियान/E-325362 ग्वालियर, दिनांक 07.09.2026

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
3. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें। आपके कार्यालय में पदस्थ अधीनस्थ स्टाफ एवं अधीनस्थ जिलों के प्रभारी अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करें।

(E-sign as above)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश